

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा :-

(X) वित्त विभाग।

पटना-15, दिनांक-..... / 12 / 2015

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, माँग संख्या-19 के विपत्र कोड-N3451000900006 के विषय शीर्ष 01 01-वेतन से ₹ 20.00 लाख एवं 01 03-जीवन यापन भत्ता से ₹ 20.00 लाख कुल ₹ 40.00 लाख प्रत्यर्पित कर विपत्र कोड- N3451000900006 के विषय शीर्ष 28 01-व्यावसायिक विशेष सेवाएँ में ₹ 30.00 लाख, विषय शीर्ष 11 01 यात्रा व्यय में ₹ 05.00 लाख तथा विषय शीर्ष 06 01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति में ₹ 05.00 लाख कुल ₹ 40.00 लाख के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न अनुसूची-53 के अनुरूप मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, माँग संख्या-19. उप शीर्ष-0006-पर्यावरण एवं वन विभाग, विपत्र कोड-N3451000900006 के विषय शीर्ष 01 01-वेतन से ₹ 20.00 लाख एवं 01 03-जीवन यापन भत्ता से ₹ 20.00 लाख कुल ₹ 40.00 लाख (चालीस लाख रुपये मात्र) प्रत्यर्पित कर विपत्र कोड- N3451000900006 के विषय शीर्ष 28 01-व्यावसायिक विशेष सेवाएँ में ₹ 30.00 लाख, विषय शीर्ष 11 01-यात्रा व्यय में ₹ 05.00 लाख तथा विषय शीर्ष 06 01-चिकित्सा प्रतिपूर्ति में ₹ 05.00 लाख कुल ₹ 40.00 लाख (चालीस लाख रुपये मात्र) के पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पुनर्विनियोग के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-

(विवेक कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-48/2015 3140 / प०व० पटना-15, दिनांक-10/12/2015

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक के साथ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पर्यावरण एवं वन विभाग/कुषागार पदाधिकारी सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना/बजट शाखा (दो प्रतियों में) एवं आईटी0 मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(विवेक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

वृहत् शीर्षक-3451-सचिवालय आर्थिक सेवार्थे


अनुदान
अनुदान / विनियोग

(राशि लाख में)

उपशीर्षक जिसके विनियोग प्रस्तावित है।						उपशीर्षक जिसमें विनियोग प्रस्तावित है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राकलन)।	वर्तमान अनुदान	तात्कालिक प्राकलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राकलन)।	वर्तमान अनुदान	तात्कालिक प्राकलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रस्तावित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवार्थे उप-मुख्य शीर्ष-00						मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवार्थे उप-मुख्य शीर्ष-00					
लघु शीर्ष-090-सचिवालय मार्ग संख्या-19						लघु शीर्ष-090-सचिवालय मार्ग संख्या-19					
उप शीर्ष-0006-पर्यावरण एवं वन विभाग विपत्र कोड-N3451000900006						उप शीर्ष-0006-पर्यावरण एवं वन विभाग विपत्र कोड-N3451000900006					
विषय शीर्ष						विषय शीर्ष					
22 01 द्वायसायिक एवं विशेष सेवार्थे	16,00,000	16,00,000	46,00,000	30,00,000	46,00,000	01 01 वेतन	1,41,20,000	1,41,20,000	1,21,20,000	20,00,000	1,21,20,000
11 01 यात्रा व्यय	6,00,000	6,00,000	11,00,000	5,00,000	11,00,000						
06 01 शिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,50,000	3,50,000	8,50,000	5,00,000	8,50,000	01 03 जीवन यापन राशि	1,65,36,000	1,65,36,000	1,45,36,000	20,00,000	1,45,36,000
योग	25,50,000	25,50,000	65,50,000	40,00,000	65,50,000		3,06,56,000	3,06,56,000	2,66,56,000	40,00,000	2,66,56,000

टिप्पणी

- (क) स्तम्भ-1 और 7 में ऐसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जायें, जिनसे इकाई संबंधित हो।
- (ख) स्तम्भ-3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाइयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ-4 और 9 से आंकड़े पीठ पर स्पष्ट किए जाय।
- (ग) स्तम्भ-6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।
- (घ) स्तम्भ-12 में स्तम्भ-9 और 11 के आंकड़ों का अंतर दिखाया जाय।
- (ङ) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ-5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ-11) संबंधी प्रस्ताव पूरा-पूरा पीठ पर दिया जाए।


प्रधान सचिव

पर्यावरण एवं वन विभाग,

बिहार, पटना